संख्या- 7 /473/38-3-2016-44(अधि0)/2015

प्रेषक,

अजय कुमार उपाध्याय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 01 जून 2016

विषय- आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय पर दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक को विनियमित किये जाने हेतु अधिसंख्य पद सृजन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-388/स्था0-3/2016, दिनांक 28-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-9/2016/वे0आ0-2-201/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011टीसी, दिनांक 24 फरवरी, 2016 की परिधि में आने वाले 01 दैनिक वेतनभोगी वाहन चालाक (श्री समरजीत) को विनियिमत किये जाने हेतु ड्राइवर ग्रेड-4 वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900 के एक अधिसंख्य पद को सृजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस पद पर कार्यरत कार्मिक को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो उक्त पद हेतु अनुमन्य हैं, देय होंगे।

3- मूल संवर्ग में जैसे ही पद रिक्त होगा वैसे ही इस अधिसंख्य पद पर कार्यरत कार्मिक मूल संवर्ग में समायोजित हो जायेगा तथा अधिसंख्य पद स्वत: समाप्त हो जायेंगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-496/दस-2016, दिनांक 26 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार उपाध्याय)
सचिव।

संख्या-7/473(1)/38-3-2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. /shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
Purchase a license to generate PDF files without this notice.